

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 30/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/42

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

अभियुक्त :-

1. श्री इन्द्रवंदन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी ओसवाला वाडा, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- अंकित कुमार आयुष कुमार गणेश गली के पास नई आबादी, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज)
2. श्री योगेश कुमार जैन पुत्र श्री केशव लाल जैन निवासी 4/30 वार्ड न. 14 खान्दू कोलोनी, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स-न्यू सनराईस एजेन्सीज कबीर मन्दिर ठीकरीया, बांसवाड़ा
3. (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- Mahalaxmi Marketing Arihant Sadan, Chetak Complex, Banswara 327001
4. श्री मनोज अग्रवाल (नोमिनी) मैसर्स Surya Processed Food Pvt.Ltd. D-1 Sector-02 Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh Pin code 201301

बनाम

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 14-05-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 01-03-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03-03-2023 को


अभिषेक गोयल
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

दौराने गश्त 3.15 पी.एम. वजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स अंकित कुमार आयुष कुमार गणेश गली के पास नई आबादी, बांसवाडा जिला बांसवाडा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री इन्द्रवंदन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार मिले, उन्होंने बताया कि वह मालिक है। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स अंकित कुमार आयुष कुमार गणेश गली के पास नई आबादी, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर दुकान में स्नेकर (प्रिया गोल्ड) 7 पैकेट प्रत्येक पैकेट 600 ग्राम का (1 पैकेट में 30 यूनिट) विक्रय हेतु रखा था। स्नेकर (प्रिया गोल्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए स्नेकर (प्रिया गोल्ड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 600 ग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 528/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा स्नेकर (प्रिया गोल्ड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 600 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा का कोड क्रमांक **W-1323** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करवाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
(अतिरिक्त प्रमुख)
बांसवाडा (बी.डी.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/215 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 233 दिनांक 15-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया स्नेकर (प्रिया गोल्ड) का नमूना कोड क्रमांक **W-1323** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standers act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, श्री इन्द्रवंदन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार ने नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नहीं की है। फर्म के मालिक श्री इन्द्रवंदन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ स्नेकर (प्रिया गोल्ड) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने स्नेकर (प्रिया गोल्ड) मैसर्स – **Mahalaxmi Marketing, Banswara** का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स – **Mahalaxmi Marketing, Banswara** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ स्नेकर (प्रिया गोल्ड) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर मैसर्स-न्यू सनराईस एजेन्सीज, बांसवाडा से खरीद बाबत् सूचित किया। मैसर्स – न्यू सनराईस एजेन्सीज, बांसवाडा को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ स्नेकर (प्रिया गोल्ड) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर **Surya Processed Food Pvt.Ltd. Hariddwar** से खरीद बाबत् सूचित किया। विक्रेता द्वारा स्नेकर (प्रिया गोल्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05-03-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 08-04-2024 को अप्रार्थी सं 1 से 3 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 4 की ओर से **Surya Processed Food Pvt.Ltd. Hariddwar (U.K.)** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री भुपेन्द्र पालीवाल ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण

न्याय विभाग, हरिद्वार
(अ. वि. प्र. सं. 1/2024)
दिनांक 08-04-2024

अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते हैं अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपीगणों की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/215 दिनांक 04-04-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 233 दिनांक 15-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया स्नेकर (प्रिया गोल्ड) का नमूना कोड क्रमांक W-1323 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया स्नेकर (प्रिया गोल्ड) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री इन्द्रवंदन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी ओसवाला वाड़ा, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- अंकित कुमार आयुष कुमार गणेश गली के पास नई आबादी, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज) को रूपये 3000/- (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री योगेश कुमार जैन पुत्र श्री केशव लाल जैन निवासी 4/30 वार्ड न. 14 खान्दू कोलोनी, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स-न्यू सनराईस एजेन्सीज कबीर मन्दिर ठीकरीया, बांसवाड़ा को रूपये 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र), (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- Mahalaxmi Marketing Arihant Sadan, Chetak Complex, Banswara को रूपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र), श्री मनोज अग्रवाल (नोमिनी) मैसर्स Surya Processed Food Pvt.Ltd. D-1 Sector-02 Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh Pin code 201301 को रूपये 200000/- (अक्षरे दो लाख रुपया मात्र) दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र



न्याय विभाग, जिला न्यायालय,
(अति) बांसवाड़ा जिला न्यायालय,
बांसवाड़ा

शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 14-05-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)

